

ORDER SHEET

THE COURT

आपराधिक प्रकरण क्रमांक:-

84/2020

राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र

प्रेम

वि०

गोतम

Date of Order of Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer (विशेष मीमाणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर, जिला इन्द्रावरुण (म.प्र.)	Signature of Parties or Pleaders where necessary
25/2/20	आरक्षी केन्द्र की ओर से आरक्षक क्रमांक द्वारा अपराध क्रमांक में आरोपी/गण ① गोतम ② प्रेम विवाही प्रेम के विरुद्ध धारा-13 जुआ अधिनियम के अंतर्गत यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोग पत्र का परिशीलन किया गया। प्रकरण विधिवत आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध किये जाने हेतु केन्द्रिय पंजीयन कक्ष में भेजा जावे। धारा 13 जुआ अधिनियम के अपराध के लिये विशिष्टियाँ सुनाये जाने पर आरोपी/गण ने स्वेच्छया से उपरोक्त अपराध करना स्वीकार किया। स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय घोषित कर आरोपी को धारा-13 जुआ अधिनियम के अपराध के लिये न्यायालय में उठने तक की सजा एवं रुपये 100-100/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को 07 दिन/माह का साधारण कारावास भुगताया जावे। आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा कर दी गई जो चालान क्रमांक ① MPT007025022020000112 तथा केयोस्क क्रमांक ② 11-123 पर जमा की गई है। ① 00708742 ② 00708746 प्रकरण पंजी से कम होकर अभिलेखागार में जमा किया जाये। (विशेष मीमाणा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर, जिला इन्द्रावरुण (म.प्र.)	गोतम प्रेम